प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 31-03-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-20401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-06-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स का संचालन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-200.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-144.40 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, खा0प्र0 के पत्र संख्या-685-86/2025-26, दिनांक 30.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-20401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-06-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स का संचालन हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-200.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-144.40 (रूपये एक करोड़ चव्वालिस लाख चालिस हजार मात्र) को आवंटित करते हुए निम्नमलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए की गयी हैं, लागत की मात्राओं को कार्य के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व उत्तरदायित्व निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

(8) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को निदेशक/वित्ति नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक/वित्ति नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षप्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स) 2401001190600 :
(का संचालन

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40, 000 रुपये चालीस हजार) (मात्र
2	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व-	2,00, 000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	29 अनुरक्षण	72,00, 000 रुपये बहत्तर लाख मात्र) (
4	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	42 अन्य व्यय	70,00, 000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
	कुल			**1,44,40, 000 रुपये एक करोड़) चौवालीस लाख चालीस (हजार मात्र**
महायोग				1,44,40, 000 (रुपये एक करोड़ चौवालीस लाख चालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त - अनुभाग (व्ययक - आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025-बी/1-352-दस/ 2025-231/2025, दिनाँक27 --मार्च, में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत 2025 निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रजनीक कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://sbasnadesh.up.gov.in

संख्या- /2026/ /58-2-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रजनीक कान्त पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in